हरियाणा प्रदूषण बोर्ड को NGT का नोटिस

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने गुरुग्राम स्थित **फ्रीडम पार्क सोसायटी** द्वारा दायर अपील के जवाब में हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (HSPCB) को नोटिस जारी किया है। सोसायटी ने सोसायटी के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) में खराबी के लिये **पर्यावरण क्षतिपूर्ति (EC)** के रूप में लगाए गए 1.55 करोड़ रुपए के जुर्माने को चुनौती दी है।

मुख्य बिंदु

- **STP क्षति का कारण:**
- यह तर्क दिया गया कि **अगस्त 2022** में तूफानी बाढ़ से STP को क्षति हुई, क्योंकि भारी वर्षा ने पूरे गुरुग्राम क्षेत्र को प्रभावित किया।
- **उठाए गए सुधारात्मक कदम:**
- प्राकृतिक आपदा के बाद, फ्रीडम पार्क सोसाइटी ने तुरंत STP की मरम्मत की और पर्यावरणीय मानदंडों के अनुपालन को बहाल किया।
- निजी प्रयोगशाला की जाँच रिपोर्ट से पुष्टि हुई है कि मरम्मत के बाद STP ने पुनः ठीक से काम करना शुरू कर दिया है।
- **जुर्माने पर विवाद:**
- 415 दिनों के उल्लंघन के लिये जुर्माना मनमाना, तर्कहीन है तथा **भारतीय पर्यावरण परिषद बनाम भारत संघ** और वेल्लोर नागरिक कल्याण बनाम भारत संघ जैसे मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित **"प्रदूषणकर्त्ता भुगतान करें" सिद्धांत के विपरीत है।**

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

- भारत सरकार के जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 **के** पारित होने के बाद जल की स्वच्छता बनाए रखने तथा जल प्रदूषण को रोकने के लिये वर्ष 1974 में हरियाणा सरकार द्वारा एक **वैधानिक संगठन के रूप में इसकी स्थापना की गई थी।**

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/haryana-pollution-board-issued-notice